भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2691

उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों का कल्याण और सामाजिक समानता

2691. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किस प्रकार किया जा रहा है;
(घ) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश में सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की नीति क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी), वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) आदि जैसी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करता है। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं का ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए कई प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित करता है जिनमें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

(पीएमएएजीवाई), पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजन जाति आदिवासी न्याय महा अभियान), पीएम-जनमान-वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके), प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम), विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता, जनजातीय अनुसंधान, सूचना शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई) योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) शामिल हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं का ब्यौरा **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया, जो 19.04.2017 को लागू हुआ। दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उक्त अधिनियम में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को अधिकार और हकदारियां प्रदान की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ समानता का अधिकार, भेदभाव का निषेध, क्रूरता, शोषण से संरक्षण, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुंच, सुगम्यता, कानूनी क्षमता, कानूनी संरक्षकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, कला, खेल, मनोरंजन, संस्कृति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी शामिल है।

उक्त अधिनियम की धारा 34 में बेंचमार्क (40% या उससे अधिक) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सरकारी रोजगार में 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 32 में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 37 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए गरीबी उपशमन और विकासात्मक योजनाओं में 5% आरक्षण सुनिश्चित करती है।

हालांकि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के तहत दिव्यांगों को राहत देना राज्य का विषय है, फिर भी केंद्र सरकार शिक्षा और रोज़गार से जुड़ी मदद के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है। इसके लिए वह दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण/साधन खरीदने/लगवाने में सहायता' (एडीआईपी), छात्रवृत्ति योजनाएं और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने की योजना (एसआईपीडीए) जैसी प्रमुख योजनाएं चलाती है। इसके लिए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र-वार बजट आवंटन नहीं किया जाता है। ये योजनाएं मांग पर आधारित हैं और निधियां वास्तविक मांग के अनुसार जारी की जाती है।

(ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन करता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन

करने वाले हमारे समाज के सबसे कमजोर व्यक्तियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, चाहे लाभार्थियों की श्रेणी कुछ भी हो। एनएसएपी लाभार्थियों की संख्या पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए योजना-वार सीमा के साथ 3.09 करोड़ बीपीएल लाभार्थियों की आवश्यकता को पूरा करता है। केंद्रीय सहायता के अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टॉप-अप राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी की पेंशन योजनाओं के तहत प्रति लाभार्थी प्रति माह 50 रुपये से 5700 रुपये तक की टॉपअप राशि प्रदान कर रहे हैं, जिससे कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औसतन 1100 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। पात्र लाभार्थी अधिक होने की स्थिति में राज्यों के पास अपने स्वयं के स्रोतों से वित्तीय सहायता प्रदान करने का विकल्प है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य पेंशन योजनाओं के माध्यम से लगभग 5.86 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश भर में 01.04.2021 से अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीएवाईवाई) नामक एक व्यापक योजना लागू कर रहा है। इस योजना का विवरण **संलग्नक-III** में दिया गया है।

(ङ): सरकार सामाजिक समानता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और समाज के सभी वर्गों में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कमजोर समुदायों के लिए शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, आजीविका, छात्रवृत्ति, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) <u>अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना</u>: अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के बच्चों और अस्वच्छ और जोखिम वाले व्यवसायों में लगे माता-पिता/अभिभावक के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक स्तर पर साक्षरता और निर्बाध शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के दो घटक हैं, जो इस प्रकार हैं:

घटक 1: अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

- छात्रों को पूर्णकालिक आधार पर कक्षा IX और X में अध्ययनरत होना चाहिए।
- उन्हें अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
- उनके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

घटक 2: अस्वच्छ और जोखिम वाले व्यवसायों में लगे माता-पिता के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

- छात्रों को पूर्णकालिक आधार पर कक्षा I से X तक में अध्ययनरत होना चाहिए।
- छात्रवृत्ति उन माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों को देय होगी, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित हैं, चाहे उनकी जाति/धर्म कुछ भी हो:
 - हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2(I)(छ) के तहत परिभाषित मैनुअल स्कैवेंजर;
 - चर्मकार और फ्लायर;
 - कचरा बीनने वाले और
 - हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2(I)(घ) में परिभाषित जोखिमपूर्ण सफाई में लगे व्यक्ति।
- योजना के इस घटक के तहत कोई पारिवारिक आय सीमा नहीं है।

(II) <u>अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना</u> -

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और निर्धनतम परिवारों के छात्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।

- छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए है।
- अनुसूचित जाति के छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, पात्र हैं।

(III) निम्नलिखित छात्रवृत्ति घटकों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के कल्याण के लिए <u>वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी):-</u>

(i) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना;

(ii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना;

(iii) अन्य पिछड़े वर्गों के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण;

(iv) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा की केंद्रीय क्षेत्र की योजना; तथा

(v) अन्य पिछड़े वर्ग, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र योजना।

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति घटकों के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यान्वयन एजेंसी हैं, जिनका वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय वित्तपोषण) के अनुपात में साझा किया जाता है

स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा और कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा मंत्रालय द्वारा सीधे तौर पर कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। इन घटकों के तहत, जो प्रतिवर्ष अधिसूचित योग्यता-सह-साधन मानदंड और स्लॉट आवंटन के आधार पर छात्रवृत्ति राशि, जिसमें ट्यूशन शुल्क, छात्रावास/शैक्षणिक शुल्क, रहने का खर्च, किताबें और स्टेशनरी और कंप्यूटर/लैपटॉप सहायता, जैसा भी लागू हो, को डीबीटी के माध्यम से सीधे पात्र आवेदकों या <u>संस्थानों</u> के बैंक खाते में जमा किया जाता है।

अन्य पिछड़े वर्गों के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण योजना सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों को

छात्रावास सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे वे उचित दूरी पर स्थित संस्थानों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह उन छात्रों को लक्षित करता है जो अन्यथा आस-पास के संस्थानों या किफायती छात्रावास आवास की अनुपलब्धता के कारण पढ़ाई बंद कर देते हैं। बालकों के छात्रावासों के लिए 60:40 और बालिकाओं के छात्रावासों के लिए 90:10 (संघ राज्य क्षेत्रों और एनआईआरएफ-रैंक वाले संस्थानों के लिए 100%) अनुपात में राज्यों के साथ केंद्रीय सहायता साझा की जाती है।

वर्तमान में, उपर्युक्त योजनाओं में संशोधन किया जा रहा है। योजनाओं का संशोधन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से किया जाता है।

(IV) <u>वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ)</u>

- अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी): यह योजना प्रचालनरत है तथा उद्यमों की स्थापना और विस्तार के लिए पात्र अनुसूचित जाति उद्यमियों को लगातार रियायती वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह कोष अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के बीच नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन का समर्थन करता है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत संस्वीकृति और संवितरण जारी है।
- पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-बीसी): यह योजना पात्र ओबीसी उद्यमियों के लिए भी चलाई जा रही है तथा स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्य व्यावसायिक उद्यमों के लिए रियायती वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करती है।

अब तक, अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी) और अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेटर मिशन (एएसआईआईएम) के तहत 255 कंपनियों को 633.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-बीसी) के अंतर्गत 20 कंपनियों को 145.58 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, वीसीएफ-एससी और एएसआईआईएम के तहत 222 कंपनियों को 459.63 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है, जबकि वीसीएफ-बीसी के तहत 20 कंपनियों को 72.73 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

(v) <u>विश्वास योजना (वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता)</u> (ब्याज छूट योजना)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के पात्र लाभार्थियों के लिए विश्वास योजना (वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक

सहायता योजना) कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा लिए गए पात्र आय-सृजक ऋणों पर प्रति वर्ष 5% तक की ब्याज छूट प्रदान करती है, जिससे ऋण की लागत कम हो जाती है और लक्षित लाभार्थियों के लिए किफायती वित्त तक पहुंच की सुविधा मिलती है।

वर्तमान में यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित 40 बैंकिंग भागीदारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। 2024-25 में इसकी शुरुआत के बाद से, अब तक लगभग 3.91 लाख लाभार्थियों को ब्याज छूट दी गई है, जिसमें लगभग 2.39 लाख व्यक्तिगत लाभार्थी और 1.52 लाख एसएचजी लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा, लाभार्थियों द्वारा की गई पात्र आय-सृजन गतिविधियों के लिए, निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत लगभग 5,663 करोड़ रुपये की राशि के ऋणों पर छूट दी गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए कई प्रमुख योजनाओं को लागू करता है।

(i) <u>एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)</u> – उद्देश्य: 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक स्कूल की परिकल्पना के साथ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कक्षा बारहवीं तक और नवोदय विद्यालयों के समान गुणवत्तायुक्त आवासीय शिक्षा प्रदान करना। स्थिति: 728 स्कूलों के लक्ष्य की तुलना में 479 प्रचालनरत हैं, संचयी नामांकन 92,075 (2020-21) से बढ़कर 1,38,336 (2024-25) हो गया है।

(ii) <u>अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति</u> – उद्देश्य: पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने और स्कूली शिक्षा को जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा IX और X में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता।

(iii) <u>अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति</u>– उद्देश्य: उच्चतर शिक्षा पूरी करने के लिए पोस्ट-मैट्रिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता।

(iv) <u>प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)/पूर्ववर्ती जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)</u>– उद्देश्य: ग्राम विकास योजनाओं (वीडीपी) के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की महत्वपूर्ण आबादी वाले गांवों में अवसंरचना और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता। स्थिति: 36,428 चिन्हित गांवों को शामिल किया गया है;

(v) <u>पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजन जाति आदिवासी न्याय महा अभियान)</u>- उद्देश्य: आजीविका और कौशल अवसंरचना के लिए बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) के प्रावधान सहित 9 संबद्ध मंत्रालयों के तालमेल से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के बीच बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति के लिए 15.11.2023 को शुरू किया गया।

(vi) <u>पीएम-जनमान-वन धन विकास केन्द्र (वीडीवीके)</u>– उद्देश्य: लघु वन उत्पाद (एमएफपी) आधारित मूल्यवर्धन पर केन्द्रित पीवीटीजी लाभार्थियों के लिए आजीविका और कौशल प्रशिक्षण केन्द्र। स्थिति: 540 वीडीवीके को मंजूरी, 46,042 व्यक्तियों को लाभ;

(vii) <u>प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)</u>- वन धन विकास केन्द्र – उद्देश्य: पीएमजेवीएम के वन धन योजना घटक के अंतर्गत वन धन विकास केन्द्रों (मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण क्लस्टर) के माध्यम से जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए एमएफपी आधारित आजीविका को बढ़ावा देना। स्थिति: 4,172 वीडीवीके को मंजूरी, 12,48,067 सदस्यों को लाभ;

(viii) <u>विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास</u>– उद्देश्य: पर्यावास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका आवश्यकताओं को कवर करते हुए 75 अभिज्ञात पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समर्पित सहायता।

(ix) <u>संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान</u>– उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को शेष राज्य के स्तर तक बढ़ाने के लिए राज्यों को संवैधानिक सहायता अनुदान।

(x) <u>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)</u>– उद्देश्य: गरीबी रेखा से नीचे आने वाले अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को आजीविका और आय सृजक कार्यकलापों के लिए रियायती ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष वित्तीय संस्था।

(xi) <u>अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता</u>– उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक, स्वास्थ्य और आजीविका कार्यकलाप करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता।

(xii) <u>जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता</u>– उद्देश्य: सूचित नीति निर्माण के लिए जनजातीय मुद्दों पर अनुसंधान, प्रलेखन और क्षमता निर्माण के लिए राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता।

(xiii) <u>जनजातीय अनुसंधान, सूचना शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई) योजना</u>- इस योजना में जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के विशिष्ट अनुसंधान, प्रलेखन, मूल्यांकन और क्षमता निर्माण पहलों के लिए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अध्ययनों में जनजातीय आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण, पारंपरिक उपचार पद्धतियों, शिक्षा, डिजिटल समावेशन, प्रथागत कानूनों और जनजातीय कला, संस्कृति, मौखिक परंपराओं और भाषाओं के प्रलेखन सहित विविध विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह योजना सूचना और जागरूकता पहल तथा अनुसंधान और प्रलेखन परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता का भी समर्थन करती है।

(xiv) <u>धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)-</u> उद्देश्य: 17 मंत्रालयों/विभागों के साथ अभिसरण और 63,000 से अधिक गांवों को कवर करने वाले 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से देश भर में जनजातीय बहुल गांवों और बस्तियों के समग्र और संतृप्ति-मोड विकास के लिए पीएमएएजीवाई को शामिल करते हुए 2024 में शुरू किया गया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पहले से ही देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 01.04.2021 से अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) नामक एक व्यापक योजना लागू कर रहा है। इस योजना के निम्नलिखित सात घटक हैं:

<u>एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)</u> - वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान किया जाता है। जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को रहने की जगह, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं नि:शुल्क दी जाती हैं।

<u>वरिष्ठ नागरिक राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी)</u> - वरिष्ठ नागरिक राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के तहत, राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य कार्य योजना लागू करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जागरूकता सृजन, संवेदीकरण, मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा और राज्य विशिष्ट गतिविधियों जैसे कार्यकलापों के लिए अनुदान सहायता दी जाती है।

<u>एल्डरलाइन: वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएससी)</u> - एल्डरलाइन एक टोल-फ्री नंबर (14567) है जो दिन में 12 घंटे (सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक) के लिए संचालित होता है जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दुर्व्यवहार और बचाव के मामलों में नि:शुल्क जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और क्षेत्र हस्तक्षेप प्रदान करता है। यह हेल्पलाइन 01.10.2021 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) एल्डरलाइन के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) है।

<u>राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)</u> - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) योजना घटक लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं है और जो उम्र से जुड़ी दिव्यांगता या कमज़ोरी से जूझ रहे हैं, ताकि उनके शारीरिक कामकाज को काफी हद तक सामान्य स्थिति में लाया जा सके। यह योजना 01.04.2017 को शुरू की गई थी। इस योजना को एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी 'भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)' (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के माध्यम से लागू किया जाता है।

<u>सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (सेज)</u> – सेज घटक वृद्धजनों की आम समस्याओं के लिए नए और अनोखे समाधानों को बढ़ावा देता है। इस योजना घटक के तहत, वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पाद, प्रक्रियाएं और सेवाएं तैयार करने वाले नए और विशिष्ट स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। स्टार्ट-अप का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और सरकारी निवेश कंपनी की कुल इक्विटी के 49% से अधिक न हो, की शर्त के तहत इक्विटी के रूप में निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

<u>वृद्धजनों की देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण</u> - योजना के इस घटक का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों की देखभाल करने वालों की पूर्ती और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को कम करना है, ताकि वृद्धजनों को बेहतर व्यावसायिक सेवाएं मिल सकें और साथ ही वृद्धजनों की देखभाल करने वाले पेशेवरों का एक कैडर तैयार किया जा सके।

वृद्धजन नागरिकों के लिए अन्य पहलें: स्वस्थ और उत्पादक वृद्धावस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए देश भर में कई पहलें लागू की जा रही हैं। प्रस्तावित पहलों का उद्देश्य ज्ञान के निर्माण में बुजुर्गों को शामिल करना है जो समग्र रूप से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।
